

प्रेस नोट

आज दिनांक 04.03.2021 को पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा यातायात लाईन स्थित सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, मिशन शक्ति, महिला हेल्प डेस्क के कार्यों आदि की समीक्षा हेतु एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। उक्त गोष्ठी में जनपद के समस्त राजपत्रित व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष मौजूद रहे।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।







प्रेस नोट

आज दिनांक 04.03.2021 को थाना लालपुर-पाण्डेयपुर के उ0नि0 मनीष पाल मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 028/2020 धारा 498ए/323/504/506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त दौलतपुर पोखरा पहड़िया के पास खड़ा है, कही जाने की फिराक में है, जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास कर उक्त स्थान से मुखबिर की निशानदेही पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम संदीप सचदेवा पुत्र स्व0 नन्दलाल सचदेवा निवासी ई- 16/3 प्रेमचन्द्र नगर कालोनी थाना लालपुर-पाण्डेयपुर वाराणसी बताया। थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त संदीप उपरोक्त को समय करीब 11.10 बजे गिरफ्तार कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. संदीप सचदेवा पुत्र नन्द लाल सचदेवा निवासी ई 16/3 प्रेमचन्द्र नगर कालोनी थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी उम्र करीब 32 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

2. मु0अ0सं0 0028/2020 धारा 498ए/323/504/506 IPC थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

3. उ0नि0 मनीष पाल, का0 सिन्धु कुमार का0 रमाकान्त सोनकर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

दिनांक 03.03. को 2021थाना चौबेपुर के व0नि030 श्री शेष कुमार शुक्ला मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबीर सूचना मिली कि मु0अ0सं0 125/2021 धारा -498ए/306 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण व अभियुक्ता इस समय जाल्हूपुर में एस0बी0आई0 बैंक के पास मौजूद है और कहीं जाने के फिराक में है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास कर थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा मुखिबर की सूचना पर उक्त स्थान के पास दो व्यक्तियों एवं एक महिला को पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूँछा गया तो एक ने अपना नाम बाबू लाल यादव पुत्र स्व0 गोविन्द यादव तथा दूसरे ने अपना नाम सन्तोष यादव पुत्र बाबू लाल यादव बताया। उक्त के संबंध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता -

1. बाबूलाल यादव पुत्र स्व0 गोविन्द यादव निवासी ग्राम कुकुढा थाना चौबेपुर वाराणसी उम्र करीब वर्ष 60
2. सन्तोष यादव पुत्र बाबू लाल यादव निवासी ग्राम कुकुढा थाना चौबेपुर वाराणसी उम्र करीब वर्ष 31
3. एक अभियुक्ता

गिरफ्तारी का दिनांक व समय - दिनांक 03.03.2021 समय 13.05 बजे

गिरफ्तारी टीम का विवरण:-

व0उ0नि0 श्री शेष कुमार शुक्ला, हे0का0 विनीत तिवारी, का0 उपेन्द्र यादव, का0 रंजीत यादव II, म0का0 कविता चौधरी थाना चौबेपुर वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

दिनांक 03.03.2021 को थाना चेतगंज के व0उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि थाना चेतगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 145/20 धारा 363, 376 भा.द.वि व ¾ पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त चौकाघाट बस स्टैण्ड लकड़मंडी तिराहे के पास खड़ा है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास कर थाना चेतगंज पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर, एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम राजा कुमार सोनी पुत्र लल्लन कुमार सोनी नि0 सेमा टाड शाहपुर थाना चैनपुर जनपद डाल्टनगंज झारखण्ड उम्र करीब 19 वर्ष बताया। अभियुक्त के कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया। उक्त के संबंध में थाना चेतगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

*गिरफ्तार अभियुक्त का नाम: *-

4. राजा कुमार सोनी पुत्र लल्लन कुमार सोनी नि0 सेमा टाड शाहपुर थाना चैनपुर जनपद डाल्टनगंज झारखण्ड उम्र करीब 19 वर्ष

*बरामदगी का विवरण *-

5. मु0अ0सं0 145/20 धारा 363, 376 भा.द.वि व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अपहृता

पुलिस टीम का विवरण-

व0उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह, उ0नि0 बैद्यनाथ सिंह, का0 सचिन सिंह, म0का0 मेनू यादव ।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 18/2021 दिनांक: मार्च, 04/2021

प्रेस नोट

पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 04.03.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108, 102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 140 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 3028 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 414 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 118 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 1220 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया साथ ही 129 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 19/2021 दिनांक: मार्च, 04/2021

प्रेस नोट

अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र द्वारा आज दिनांक 04.03.2021 को पुलिस कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी, मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान पुलिस कार्यालय के प्रधान लिपिक शाखा, आंकिक शाखा, जन शिकायत प्रकोष्ठ, विशेष जांच प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ सहित समस्त शाखाओं का निरीक्षण व भ्रमण किया गया व अभिलेखों का अवलोकन भी किया गया तथा पुलिस कार्यालय की साफ-सफाई आदि को भी चेक किया गया तथा सम्बन्धित को आदेश-निर्देश दिया गया।

इससे पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र द्वारा साइबर क्राइम थाना (परिक्षेत्रीय) का भी निरीक्षण किया गया व थाने के अभिलेखों का भी अवलोकन किया गया तथा सम्बन्धित अधिकारीगण को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।







प्रेस नोट

थाना जैतपुरा में नियुक्त उ0नि0 सुशील कुमार द्वारा थाना जैतपुरा में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 213/2020 धारा 354ख/504/506 भादवि के विवेचना के दौरान आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत ऑडियो की कॉल रिकार्डिंग जिसमें विवेचक द्वारा स्वीकार किया गया कि उसकी स्वयं की बातचीत आवेदिका के पति से हुई है। जिसमें विवेचक द्वारा अभियुक्तगण से मिलकर आर्थिक लाभ लेकर सही ढंग से विवेचना न करने व मुकदमा वापस लेने व फर्जी मुकदमें में आवेदिका व उसके पति को फसाने की बात कही गयी है। उ0नि0 द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पारदर्शी एवं मर्यादित आचरण का प्रदर्शन नहीं किया गया। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा उ0नि0 सुशील कुमार को आज दिनांक 04.03.2021 को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

आज दिनांक 04.03.2021 को जनपदीय पुलिस स्थापना बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त निम्न 30नि0 को कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता व स्वेच्छाचारिता में प्रशासनिक आधार पर तत्कालिक प्रभाव से पुलिस लाइन वाराणसी स्थानान्तरित किया जाता हैं।

1. 30नि0 संजय कुमार राय चौ0प्र0 गंगापुर थाना रोहनियां से पुलिस लाईन।
2. 30नि0 राम पूजन बिन्द चौ0प्र0 डी0एल0डब्लू0 थाना मण्डुवाडीह से पुलिस लाईन।
3. 30नि0 संग्राम सिंह यादव थाना मण्डुवाडीह से पुलिस लाईन।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।